



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 22, सोमवार, शाके 1940-फरवरी 11, 2019
Magha 22, Monday, Saka 1940- February 11, 2019

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 8, 2019

संख्या प.9(922) परि/ आरटीए/मु./2002/पार्ट-II/2186 :- भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 700(अ) दिनांक 12-09-1990 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 74 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9 (922) परि/आरटीए/मु./ 2002/ पार्ट-II/39819, दिनांक 25-07-2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निम्न निर्देश जारी करती है:-

निर्देश

यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं कि जयपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले एलपीजी/सीएनजी चलित ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः जयपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 31-03-2019 तक ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या को 26,000 तक सीमित करेंगे एवं नवीन अनुज्ञापत्र अनन्य रूप से एलपीजी/सीएनजी चलित वाहनों को ही स्वीकृत किये जायेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,
ह. अपाठ्य,
संयुक्त शासन सचिव।

535

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।